



कार्यालय राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) व
राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (SEAC), उत्तराखण्ड।
अजबपुर कलां, मोथरोवाला रोड, (समीप:-पी0एन0बी0), देहरादून।

पत्र संख्या-२४/SEAC

दिनांक- १२, फरवरी, 2019

To,

Shri Satayendra Kumar Tomar S/o Shri Tej,
Village Bamoli, Talli Khaam Tehsil- Haldwani, District- Nainital.

Sub- Regarding Environmental Clearance for Extraction of extraction of sand/bajri/boulder at Khasra no. 2519 A Village- Bhaursa, Tehsil and District- Nainital.

Ref- Hon'ble NGT order dated 04.09.2018 & 13.09.2018 passed in O.A. No-173/2016 & 186/2016 in the matter titled "Shri Sudarsan Das V/s State of West Bengal & Ors" and "Shri Satendra Pandey V/s MoEFF&CC and Anr." respectively and MoEFCC Letter No-L-11011/175/2018-IA-II (M) of dated 12-12-2018.

Dear Sir/Madam,

Kindly take reference of your proposal submitted vide no SIA/UK/MIN/85036/2018 on dated 10th November, 2018 regarding Environment Clearance. The SEAC in its meeting dated 9th January, 2019 examined the proposal and forwarded to SEIAA. After that SEIAA has considered proposal in its meeting dated 21st January, 2019 and 22nd January, 2019 and taken this decision as per NGT, order/details given below-

In the view of order dated 04.09.2018 & 13.09.2018 passed by Hon'ble NGT in O.A. No-173/2016 & 186/2016 in the matter titled "Shri Sudarsan Das V/s State of West Bengal & Ors" and "Shri Satendra Pandey V/s MoEFF&CC and Anr." respectively MoEFF&CC vide their Letter No- L-11011/175/2018-IA-II (M) of dated 12-12-2018 directed that all area from 5 to 25 ha falling under Category B-2 will be considered as B1 by SEIAA/SEAC as well as for cluster situation therefore, EIA, EMP and, Public Consultation for all areas from 5 to 25 ha is required. The above proposal was considered in its meeting dated 21st January, 2019 and 22nd January, 2019, and after through discussion and deliberation, it has been conveyed that SEAC desires comprehensive EIA report of this proposal after due public consultation conducted by Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board. The terms of reference (TOR) for the EIA report is being out lined below:-


- 1) **Air Quality** – Ambient air quality shall be monitored within the study area. The data shall be collected at one location within the core zone and at 4 locations in buffer zone of the study area. The core zone is an area encompassing radial distance of 100 Mt from the project site. Buffer zone is outside core zone but located within the study area of 10 KM. The ambient air quality for PM₁₀, SO₂ and NO₂ shall be monitored regularly twice a week during the study period of 1 season except monsoon season.
- 2) **Water Quality** – Surface water quality as well as ground water quality shall be monitored within the study area. Four monitoring sites shall be identified each in core zone and buffer zone within the study area. Water sample shall be collected at least once in a month during the study period. Impact of mining on local water bodies should be studied in EIA report.
- 3) **Noise Quality** – The range of noise levels in core zone and buffer zone shall be monitored at one location in core zone and three different locations in buffer zone. The noise level shall be

recorded on day and night basis at least twice in a week during the study period of 1 season except monsoon season.

- 4) **Flora and fauna** – The detailed biodiversity study shall be carried out to locate floral and faunal species present within the study area. The detailed enumeration of biodiversity shall be done for 10 KM study area of core & buffer zone in project site. Local flora, fauna and medicinal plants should be inventoried and duly by the concerned Divisional Forest Officer of the area. The protection plan should be included in EIA report. Agricultural land pattern, ownership, progressive restoration plan, crop pattern, irrigation source should be included in EIA study. Impact of waste generation on agro eco-system should be included in EIA study. The aerial distances of the project site from the protected areas/reserved forests/protected forest/wetland or any other ecologically sensitive sites shown on toposheet should be duly authenticated by concerned officer/IT Cell of Forest Department, Dehradun.
- 5) **Other Mine Sites** – The detailed mine sites located within the study area of 10 KM shall be identified. The mining clusters formed within 500 meters of the proposed mine site if any shall be identified considering the mining area and should be shown on digital toposheets.
- 6) **Rural infrastructure** – The details of infrastructure facilities e.g. village roads, irrigation facilities, community centers, tourist spots/facilities located within the study area shall be enlisted.
- 7) **Socio Economic Conditions** – The detail of villages located within the study area shall be identified and socio economic conditions of local population shall be broadly enlisted. The primary/secondary data available with government sources/agencies shall form the basis of this study.
- 8) Chemical composition, physical characteristics and use of soapstone should be mentioned in EIA study.
- 9) The risk assessment and occupational health hazard management plan should be submitted.
- 10) The CSR and CER budgeting with proper EMP expenditure should be submitted.

Note: The study area shall comprise of radial distance of 10 KM from the project site and the study period is three months. The impact on each of the above parameter as a result of mining shall be assessed through appropriate modeling and prediction methods considering base line data.

Hence you are kindly requested to kindly submit EIA report for further necessary action.


(Rajiv Dhiman)
Member Secretary,
SEAC, Uttarakhand

Copy to:- Member Secretary, Environment Protection and Pollution Control Board, 29/20, Nemi Road, Dehradun for necessary action.


(Rajiv Dhiman)
Member Secretary,
SEAC, Uttarakhand

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास अनुभाग-1
 संख्या: 199 / VII-1 / 2018 / 6ख / 2018
 देहरादून दिनांक: 15 मई, 2018
 आशय पत्र (Letter of Intent)

अधिसूचना संख्या-1582/VII-1/2017/31 ख/17, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रस्थापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानान्तर्गत जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौर्सा क्षेत्रान्तर्गत 6.00 हैक्टेयर (राजस्व क्षेत्र) में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्टर) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रकाशित आमंत्रण प्रपत्र संख्या-001_Nainital Bhaursha Nainital 6.00ha/ भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/ 2017-18, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के क्रम में उक्त नियमावली, 2017 के नियम 27.ग (द्वितीय चरण) के उपनियम 5 के प्रावधानानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल (पंजीकरण सं० M171228140932340) को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली रू० 5,020,9500.00 (रू० पांच करोड़ बीस लाख नौ हजार पांच सौ मात्र) के आधार पर H2 घोषित किया गया है।

2. श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर को उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम 2 के अनुसार बोली गयी अधिकतम उच्चतम बोली रू० 5,020,9500.00 (रू० पांच करोड़ बीस लाख नौ हजार पांच सौ मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू० 50,20,950.00 (रू० पचास लाख बीस हजार नौ सौ पचास मात्र) जमा किये जाने, विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियाँ सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून में जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित माना गया है। उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम-3 के अनुसार श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू० 50,20,950.00 (रू० पचास लाख बीस हजार नौ सौ पचास मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक माने जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौर्सा क्षेत्रान्तर्गत 6.00 है० में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

(1) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम-17 के प्रावधानानुसार सीमाबन्धन कराये जाने, खनन योजना अनुमोदित कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।

(2) आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि रू० 1,25,52,375.00 (रू० एक करोड़ पच्चीस लाख बावन हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) धरोहर धनराशि (Security Money) समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री-बिड अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वेबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रोत्तर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(3) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से अनुमोदित कसयी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस का वर्णन व जियोरैफरेन्सड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफलवार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन, संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 100 मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित हो तथा नदी

के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिह्नित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलेखित होना व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

- (4) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर0व्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर व खनन योजना अनुमोदन शुल्क ₹0 50,000/- निर्धारित लेखाशीर्षक 0853 अलाह खनन धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कर निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।
- (5) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।
- (6) पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन सक्रियता सम्पादित करेगा।
- (7) राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में, तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
- (8) उत्तराखण्ड शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- (9) सफल बोलीदाता/प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रततर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
- (10) राज्य में अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा व 400 है0 पूर्ण होने पर अवशेष पट्टों हेतु अर्हता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिकमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है0 से अधिक है तो उक्त दशा में एक स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।
- (11) (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
(ख) पांच हैक्टयर के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र का छः माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के ऑन लाईन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छः माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रततर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई-नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा। उक्त प्रक्रिया में अग्रततर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।



प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

- (12) आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार व कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण

किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रारम्भिक पट्टाधारक द्वारा जमीन एवं आशय का निराकरण ऑन लाईन किये जाने की उपरान्त, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को ऑन लाईन सम्पत्ति पर राज्य सरकार द्वारा, खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत शुल्क अर्थात् में स आवश्यक अवधि हेतु, खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance Guarantee अर्थात् स्वीकृत

- (13) खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance Guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पट्टा प्रविणा, निर्धारित विभागीय पेमेंट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पट्टा प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धनराशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
- (14) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख तैयार कर ऑन लाईन प्रारम्भिक पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑन लाईन होगी। प्रारम्भिक पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां जिलाधिकारी, नैनीताल को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागीय अधिकारी नैनीताल द्वारा हस्ताक्षर क उपरान्त जिलाधिकारी, नैनीताल को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (15) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
- (16) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमाकन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही-सीमाकन शुल्क नियम-17 के अनुसार, सीमास्तम्भ (साईज-05 फिट जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के भीतर, जो 2 X 2 फिट की चौड़ाई जी०पी०एस० रिडिंग सहित) प्रारम्भिक पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।
- (17) पट्टा विलेख के निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन सक्रियता प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन सक्रियताओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- (18) प्रारम्भिक पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रारम्भिक पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रततर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (19) उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित), 2017 के नियम 29(क)(1) स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज चुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्या: 799 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं०-3223/ई०-निवि०सहई-नीला०/भू०खनि०ई०/भौसा/2017-18, दिनांक 28 मार्च, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, ग्राम बमोरी तल्लीखाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।



संयुक्त सीमाबन्धन आख्या

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून के आशय पत्र संख्या 799/VII-1/2018/6-ख/ 2018 दिनांक 15 मई 2018 के द्वारा आवेदक श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर निवासी ग्राम बमौरी तल्ली खाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में तहसील व जनपद नैनीताल के ग्राम भौसा में राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 2519 अ कुल रकवा 31.665 हेक्टेयर मध्ये 6.00 हे० राजस्व भूमि में उपखनिज (रेता, बजरी, बोल्टर, आर०बी०एम०) के खनन कार्य हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। उक्त आशय पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या: 1046/30-जी०सी०/2017-18 दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्र संख्या 531/भू०खनि०इ०/ख०प०/2017-18 दिनांक 19 जुलाई 2018 के द्वारा संयुक्त सीमांकन की तिथि 21.07.2018 को निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल स्थित हल्द्वानी के अधिकारी/कर्मचारियों एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आवेदक की उपस्थिति में किया गया। मौके पर राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा दिखाये एवं बताये गये सन्दर्भ बिन्दु (खसरा संख्या 2523 मोटर मार्ग से गोला नदी को जाने वाले रास्ता) के आधार पर सीमाबन्धन किया गया। सार्वजनिक भवन, नहर, सड़क, पुल व वन क्षेत्र आदि से नियमानुसार दूरी छोड़ते हुये स्वीकृत क्षेत्र 6.00 हेक्टेयर भूमि चुगान/खनन कार्य हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिसे मानचित्र पर हरे रंग से दर्शाया गया है।

आवेदक को मौके पर ही सीमाबन्धित किये गये क्षेत्र की सीमाएँ एवं पिलर स्तम्भ दिखाये गये, जिस पर मौके पर ही पट्टेधारक द्वारा सीमा सतम्भ (कंकीट पिलर) लगा दिये गये हैं।

सीमाबन्धित क्षेत्र की चौहद्दी:-

क्षेत्र के उत्तर में- पिलर संख्या: A,B,C एवं कुमाऊ मण्डल विकास निगम को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र।

क्षेत्र के दक्षिण में- पिलर संख्या: H,I,J,K,L तत्पश्चात गोला नदी क्षेत्र।

क्षेत्र के पूर्व में - पिलर संख्या: M,N,Q,R,S,T,U,V तत्पश्चात गोला नदी एवं जमरानी मोटर मार्ग।

क्षेत्र के पश्चिम में-पिलर संख्या: C,D,E,F,G,H तत्पश्चात ग्राम रौशिल की भूमि।



(Signature)
सर्वेक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

उपरोक्त सीमाबन्धन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे पक्ष में 6.00 हेक्टेयर स्वीकृत राजस्व भूमि में सीमाबन्धन के चुगान/खनन हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिससे मैं सहमत हूँ।



(Signature)
पट्टाधारक

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

श्री सतेन्द्र कुमार तोमर,
पुत्र श्री तेज सिंह तोमर,
निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम,
तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

संख्या: /उ०ख०/मा०प्लान/नैनीताल/2016-17

दिनांक 18 अक्टूबर, 2018

विषय:- श्री सतेन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौसा क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.00 हे० भूमि में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौसा क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.00 हे० भूमि जोकि ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आपके पक्ष में घोषित एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 799/VII-1/2018/6-ख/2018 दिनांक 15 मई, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्टर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो कि आर०क्यू०पी० श्री हरीश कैंथोला मु०ख०/०५/खनन/आर०क्यू०पी०/2015-16 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

शर्तें

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन नियमावली के नियम-28 "क" (18) के अनुसार आशयपत्रधारक के पक्ष में शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने पर तत्समय शासनादेश में वर्णित अवधि तक के लिये वैध होगा।
2. आशयपत्र धारक द्वारा सक्षम स्तर से प्रश्नगत खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तदनुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 799/VII-1/2018/6-ख/2018 दिनांक 15 मई, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्टर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।
4. पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश एवं पट्टाविलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
5. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लारिस्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में आर०एल० 635.00 मी० से आर०एल० 648.00 मी०

तक 132000.00 टन, द्वितीय वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन, तृतीय वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन, चतुर्थ वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन एवं पंचम वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन, उपखनिज का खनन किया जायेगा।

7. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
8. पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
9. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज की निकासी किये जाने से पूर्व उत्तरखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य/अनिवार्य होगा।
10. प्रश्नगत खनन पट्टाक्षेत्र के नेशनल पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में पट्टाधारक द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
11. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
12. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
13. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
14. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
15. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
16. अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
17. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, आवेदक के विरुद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेंगे।

संलग्नक:- खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक

संख्या: 945/मा0प्लान/उ0खनि0/नैनीताल/2016-17 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. उपनिदेशक खनन/जिला खान अधिकारी, नैनीताल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com

Telefax:05942-236790

पत्रांक:- 2760 / 9-5-1 दिनांक 24/01 / 2019

सेवा में

श्री सतेन्द्र कुमार तोमर,
पुत्र श्री तेज सिंह तोमर,
ग्राम बभोरी, तल्लीखाम, तहसील हल्द्वानी,
जिला नैनीताल।

विषय :-

श्री सतेन्द्र कुमार तोमर, पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, ग्राम बभोरी, तल्लीखाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 2519(अ) खतीनी संख्या - 37 ग्राम-भोसा तहसील नैनीताल जिला नैनीताल उत्तराखण्ड में 1,32,000 टी०पी०ए० रेटा, बजरी एवं बोलहर के दुगान हेतु आवेदन।

संदर्भ :-

आपका आवेदन पत्र दिनांक रटिल।

महोदय

आपके विषयगत प्रकरण में इस वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी बढौन से खोज कराई गई। वन क्षेत्राधिकारी बढौन ने अपने पत्रांक 146/9-2-1 दिनांक 21.01.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदित खसरा संख्या 2519(अ) खतीनी संख्या- 37 ग्राम भोसा की भूमि NZA 10(1) जल्मान भूमि है जो बेनाप भूमि के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

आप द्वारा मागी गई सूचना बिन्दुवार वन क्षेत्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित की गई।

- 1- आवेदित स्थल वन्य जीव अभ्यारण्य नन्दौर से 10 किमी० से अधिक क्षैतिज दूरी पर स्थित है।
- 2- आवेदित स्थल बेनाप जलमग्न भूमि है जो कि आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 100मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्या-

दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, भुक्तेश्वर नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी बढौन, को उनके पत्रांक 146/9-5-1 दिनांक 21-1-2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 5139/30-जी०सी०/2011-12
 दिनांक 13 मार्च 2012 के अनुपालन में ग्राम-भोली जिला तटशील नैनीताल
 राजस्व खनिज क्षेत्र के खसरा संख्या 2519 अ खवा 31.665 हेक्टे के
 मध्ये 4.00 हेक्टेपर खनन क्षेत्र का निरीक्षण आज दिनांक 21 मार्च 2012
 को उपरवाजे निरीक्षण समिति के सदस्यो प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त
 रूप से किया गया। निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि उक्त क्षेत्र
 में अच्छी गुणवत्ता का R.B.M. उपरवाजे मारी मात्रा उपलब्ध
 है। उक्त खनन योग्य क्षेत्र आरक्षण का बूम से 100 मीटर की दूरी
 से अधिक पर है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू
 नहीं होता है। उक्त क्षेत्र में खनन करने से पर्यावरण संतुलन पर
 विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त क्षेत्र के उत्तर में जमरानी मोटर मार्ग
 ठामीयाँ गांव तोरु आना पश्चिम की ओर गौला नदी पूर्व में
 ओर जमरानी मोटर मार्ग एवं ग्राम भोली दक्षिण की ओर ग्राम
 बांसीला जाजा स्थित है वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया
 गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय की रिट पीपीशन संख्या
 2833/2002 रामकृष्ण विवेकानंद सेवा ड्रम ट्रस्ट बनाम
 उत्तराखण्ड सरकार व अन्य में पारित निर्णय को भी संज्ञान
 में लिया जाय। उक्त क्षेत्र में सिन्हाई विभाग के प्रतिनिधि
 द्वारा बताया गया कि कोई गूल आदि नहीं है।

उक्त क्षेत्र तक पहुँच मार्ग उपलब्ध है जिससे
 उपरवाजे की परिवहन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
 खनन योग्य क्षेत्रफल का खसरा मानचित्र में लाल रंग
 से दर्शाया गया है। अतः उक्त क्षेत्र में राजस्व एवं रोजगार लाने
 में वृद्धि को दृष्टान्त में रखते हुए खनन करने में संलग्न सीमांत

जिलाधिकारी नैनीताल
 उपरवाजे निरीक्षण समिति के सदस्यो प्रतिनिधि
 प्रतिनिधि सिन्हाई विभाग
 प्रतिनिधि वन विभाग
 सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि
 खनन विभाग
 राजस्व विभाग
 नैनीताल
 21-3-2012
 दिनांक 21-3-2012
 दिनांक 21-3-2012

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्यालय श्रीमान संयुक्त मजिस्ट्रेट / उपनिष्ठाधिकारी मधोदर नैनीताल के पत्र संख्या 1412/आ.ए./2016 दि. 17.2.2016 के अनुपालन में ग्रामभरसा के खसरा नं. 2519 आ मध्ये खसरा 8.000 हेक्टेर भूमि का सीमांकन शजसु विभाग व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा आज दि. 19.2.2016 को किया गया, जो मध्य सुबन्धक कुमाऊँ सफल विकास निगम ओरु पार्क हाउस नैनीताल का प्रस्तावित क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र के पूर्व की ओर जमरानी गेट मार्ग, पश्चिम में ग्राम शं की सीमा, उत्तर में प्रवीण चौधरी का पट्टा स्थल तथा दक्षिण में गौरी नदी ए ग्राम शंमिल की सीमा है। उक्त प्रस्तावित स्थल से वन विकास ^{अपेक्षा} की सीमा 2500 है।

अंतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्कृति सहित प्रेषित

संयुक्त मजिस्ट्रेट
उ.उ.ए. च.स. य.स.स.
नं. 10

डि. 17.2.2016
डेप्युटी डी.एस.ओ.
श.उ. नि.पि.सी.

डि. 17.2.2016
श.स.
(हरि साहिब नैगी)
वन दरोगा
च. 8 पंचालपुरा अंतु.



**National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories**

(A Constituent Board of Quality Council of India)



CERTIFICATE OF ACCREDITATION

MANTEC ENVIRONMENTAL LABORATORY

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

D-36, Sector-06, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

in the field of

TESTING

Certificate Number TC-6440 (in lieu of T-1417)

Issue Date 11/09/2017

Valid Until 10/09/2019

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.

(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Program Director



89076970100030000603

Anil Relia
Chief Executive Officer



National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(A Constituent Board of Quality Council of India)



SCOPE OF ACCREDITATION

Laboratory Mantec Environmental Laboratory, D-36, Sector-06, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Accreditation Standard ISO/IEC 17025: 2005

Certificate Number TC-6440 (in lieu of T-1417)

Page 1 of 4

Validity 11.09.2017 to 10.09.2019

Last Amended on 17.10.2017

Sl.	Product / Material of Test	Specific Test Performed	Test Method Specification against which tests are performed	Range of Testing / Limits of Detection
-----	----------------------------	-------------------------	---	--

CHEMICAL TESTING

I. ATMOSPHERIC POLLUTION				
1.	Ambient Air	Respirable Particulate Matter/ PM 10	CPCB/NAAQMS/25/2003-04/JULY/IS 5182 (Part 23)	05 µg/m ³ to 1000 µg/m ³
		Suspended Particulate Matter	IS 5182 (Part 4): 2005	05 µg/m ³ to 1000 µg/m ³
		Sulphur Dioxide	IS 5182 (Part 2): 2001	04 µg/m ³ to 1050 µg/m ³
		Nitrogen Dioxide	IS 5182 (Part 6): 2006	06 µg/m ³ to 750 µg/m ³
		Ammonia	CPCB Guidelines, Vol-1 (May 2011)/ MEL/SOP / Issue No. 01 & Issue Date 18.10.2014	1 µg/m ³ to 1000 µg/m ³
		Ozone	IS 5182 (Part 9) Chemical Method	10 µg/m ³ to 2000 µg/m ³
		Carbon Mono-oxide	NDIR Method IS 5182 (Part 10): 1999 (RA 2003)	0 to 200 ppm
		Particulate Matter 2.5	CPCB Guidelines, Vol-1 (May 2011)	03 µg/m ³ to 1000 µg/m ³
2.	Ambient Noise	Noise Levels Leq	IS 9876:1981	34 dB(A) to 134 dB(A)
II. WATER				
1.	Drinking Water , Surface Water, Ground Water	pH	IS 3025 (Part 11): 1983 (RA 2012)	4 to 10
		Conductivity	IS 3025 (Part 14): 1984 (RA 2013)	2 µmhos/cm to 2000 µmhos/cm
		Alkalinity	IS 3025 (Part 23): 1986 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Chloride	IS 3025 (Part 32): 1988 (RA 2014)	2 mg/l to 1500 mg/l

Rozina
Convenor

N. Venkateswaran
Program Director



National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(A Constituent Board of Quality Council of India)



SCOPE OF ACCREDITATION

Laboratory Mantec Environmental Laboratory, D-36, Sector-06, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Accreditation Standard ISO/IEC 17025: 2005

Certificate Number TC-6440 (in lieu of T-1417)

Page 2 of 4

Validity 11.09.2017 to 10.09.2019

Last Amended on 17.10.2017

Sl.	Product / Material of Test	Specific Test Performed	Test Method Specification against which tests are performed	Range of Testing / Limits of Detection
		Total Hardness	IS 3025 (Part 21): 2009 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Total Dissolved Solid	IS 3025 (Part 15): 1984 (RA 2014)	1 mg/l to 5000 mg/l
		Sodium	IS 3025 (Part 45): 1993 (RA 2014) Flame Photometer	1 to 50 mg/l
		Potassium	IS 3025 (Part 45): 1993 Flame Photometer (RA 2014)	1 mg/l to 50 mg/l
		Sulphate	IS 3025 (Part 24): 1986 (RA 2014)	1 mg/l to 100 mg/l
		Phosphate	IS 3025 (Part-31): 1988 (RA 2014)	0.1 mg/l to 50 mg/l
		Nitrogen	IS 3025 (Part 34): 1988 (RA 2014)	1 mg/l to 50 mg/l
		Temperature °C	IS 3025 (Part 9): 1984 (RA 2006)	Ambient to 50
		Dissolved Oxygen	IS 3025 (Part 38): 1989 (RA 2014)	0.1 to 10 mg/l
		Colour	IS 3025 (Part 4): 1883 (RA 2012)	1 Hazen to 5000 Hazen
		Turbidity	IS 3025 (Part 10): 1984 (RA 2014)	1 NTU to 1000 NTU
		Calcium	IS 3025 (Part 40): 1991 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Magnesium	IS 3025 (Part 46): 1994 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Nitrite Nitrogen (NO ₂ -N)	IS 3025 (Part 34): 1988 (RA 2009)	0.01 mg/l to 2000 mg/l
		Colour	IS 3025 (Part 4): 1983 (RA 2012)	1 Hazen to 500 Hazen
		Turbidity	IS 3025 (Part 10): 1984 (RA 2014)	1 NTU to 1000 NTU

Rozina
Convenor

N. Venkateswaran
Program Director



National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(A Constituent Board of Quality Council of India)



SCOPE OF ACCREDITATION

Laboratory Mantec Environmental Laboratory, D-36, Sector-06, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Accreditation Standard ISO/IEC 17025: 2005

Certificate Number TC-6440 (in lieu of T-1417)

Page 3 of 4

Validity 11.09.2017 to 10.09.2019

Last Amended on 17.10.2017

Sl.	Product / Material of Test	Specific Test Performed	Test Method Specification against which tests are performed	Range of Testing / Limits of Detection
		Calcium	IS 3025 (Part 4): 1991 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Magnesium	IS 3025 (Part 46): 1994 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Free Residual Chlorine	IS 3025 (Part 26): 1988	0.1 mg/l to 10 mg/l
		Anionic detergents	Annex K of IS 13428 (RA 2014)	0.05 mg/l to 50 mg/l
		Fluoride	IS 3025 (Part 60): 2008 (RA 2013)	0.02 mg/l to 20 mg/l
		Silica	IS 3025 (Part 35): 1988 (RA 2014)	0.1 mg/l to 50 mg/l
		Boron	IS 3025 (Part 57): 2005 (RA 2010)	0.02 mg/l to 10 mg/l
		Phenolic Compounds	IS 3025 (Part 43): 1992 (RA 2014)	0.001 mg/l to 50 mg/l
		Manganese	IS 3025 (Part 59): 2006 (RA 2012)	0.01 mg/l to 20 mg/l
		Hexavalent Chromium	IS 3025 (Part 52): 2003 (RA 2014)	0.01 mg/l to 10 mg/l
		Mercury	IS 3025 (Part 48): 1994 (RA 2014)	0.01 mg/l to 10 mg/l
		Iron	IS 3025 (Part 53): 2003 (RA 2014)	0.01 mg/l to 20 mg/l
2.	Waste Water	pH	IS 3025 (Part-11): 1983 (RA 2012)	2 to 12
		Alkalinity	IS 3025 (Part 23): 1986 (RA 2014)	1 mg/l to 1000 mg/l
		Total Dissolved Solid	IS 3025 (Part 15): 1984 (RA 2014)	1 mg/l to 5000 mg/l
		Chemical Oxygen Demand	IS 3025 (Part 58): 2006 (RA 2012)	50 mg/l to 5000 mg/l
		Sodium	IS 3025 (Part 45): 1993 (RA 2014) Flame Photometer	1 mg/l to 100 mg/l

Rozina
Convenor

N. Venkateswaran
Program Director



National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

(A Constituent Board of Quality Council of India)



SCOPE OF ACCREDITATION

Laboratory Mantec Environmental Laboratory, D-36, Sector-06, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Accreditation Standard ISO/IEC 17025: 2005

Certificate Number TC-6440 (in lieu of T-1417) **Page 4 of 4**

Validity 11.09.2017 to 10.09.2019 **Last Amended on** 17.10.2017

Sl.	Product / Material of Test	Specific Test Performed	Test Method Specification against which tests are performed	Range of Testing / Limits of Detection
		Potassium	IS 3025 (Part 45): 1993 (RA 2014) Flame Photometer	1 mg/l to 100 mg/l
		Sulphate	IS 3025 (Part 24): 1986 (RA 2014)	1 mg/l to 100 mg/l
		Phosphate	IS 3025 (Part 31): 1988 (RA 2014)	0.1 mg/l to 25 mg/l
		Nitrate	IS 3025 (Part 34): 1988 (RA 2014)	1 mg/l to 100 mg/l
		Acidity	IS 3025 (Part 22): 2003	1 mg/l to 100 mg/l
		Temperature °C	IS 3025 (Part 9): 1984 (RA 2006)	Ambient to 60
		Dissolved Oxygen	IS 3025 (Part 38): 1989 (RA 2014)	0.1 mg/l to 10 mg/l
		Biochemical Oxygen Demand	IS 3025 (Part 44): 1993 (RA 2014)	3 mg/l to 1000 mg/l
		Oil & Grease	IS 3025 (Part 39): 2003	0.4 mg/l to 100 mg/l
		Total Suspended Solid	IS 3025 (Part 17): 2006	2.0 mg/l to 300 mg/l
		Calcium	IS 3025 (Part 40): 2003	1 mg/l to 1000 mg/l
		Nitrite Nitrogen (NO ₂ -N)	IS 3025 (Part 34): 2009	0.01 mg/l to 200 mg/l
		Ammonia (as Total Ammonia-N)	IS 3025 (Part 34): 2009	0.2 mg/l to 100 mg/l
		Silica	IS 3025 (Part 35): 2003	0.01 mg/l to 100 mg/l
		Boron	IS 3025 (Part 57): 2005	0.02 mg/l to 10 mg/l
		Phenolic Compounds	IS 3025 (Part 43): 2003	0.1 mg/l to 50 mg/l
		Hexavalent Chromium	IS 3025 (Part 52): 2003	0.01 mg/l to 25 mg/l
		Mercury	IS 3025 (Part 48): 2003	0.001 mg/l to 20 mg/l
		Iron	IS 3025 (Part 53)	0.01 mg/l to 50 mg/l

Rozina
Rozina
Convenor

N. Venkateswaran
N. Venkateswaran
Program Director

Environmental Policy


M/s Shri Satayendra Kumar Tomar acknowledges his responsibility to manage the environmental effects associated with the operation of Boulder, Gravel and Sand (Minor Mineral) Mining in Village Bhoursha, Tehsil & District Nainital, Uttarakhand as we pursue our goal of generating value for our employees and our local communities.

Implementation:

- Comply with applicable environmental laws and regulations at all time; at all locations and at all stages of exploration, development, operations and reclamation.
- Establish and maintain standards, procedures and management controls to ensure that environmental considerations are balanced equally with competing priorities and other key business activities.
- Ensure that all employees and contractors are trained to understand their environmental responsibilities and create an environment that adheres to the Company's Policies, procedures and applicable regulations.
- Hold leadership accountable for good environment performance of our operations and projects. Inherent in that accountability will be the commitment of senior management to provide resources and successfully create an appropriate environment.
- Reward and recognize behavior that supports environmental stewardship.
- Implement procedures to measure environmental performance, including regular inspection by our consultancy to verify compliance with all the applicable regulations.
- Communicate openly with employees, regulatory agencies, the public and shareholders on environmental issues.
- Work proactively with other mining companies, policy makers and the public to define environmental priorities and to contribute to the development of responsible laws and regulations to protect the environment.
- Actively engage with credible third parties to develop continuous improvement in our environmental policies and practices.
- Continuously review environmental achievements and technologies to share and promote implementation of best practices.
- The system of reporting of Non-conformances /violation of any Environmental Law/Policy

will be as per quality management system. The internal audit will be conducted on periodic basis and any Non- conformances/violation to Environmental Law/Policy will be closed and discussed during Management Review Meetings of board of directors/partners.

Hierarchy of Environment for dealing Environmental Issue



For: M/s Shri Satayendra Kumar Tomar

TRAFFIC STUDY

Name of the Project: Mining of Sand, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from Gola riverbed in Village- Bhaursha, Tehsil and District Nainital , Uttarakhand

Date of Traffic Survey: 13.03.2019

Name of the Road: NH-87

TIME (HRS)	Total						Total
	VEHICLES						
	Trucks	Agriculture Tractors/LCV	Bus	Car	3 Wheeler	2 Wheeler	
6:00-7:00	35	22	26	40	11	33	167
7:00 -8:00	35	22	20	30	11	42	160
8:00 - 9:00	23	19	23	27	17	37	146
9:00 - 10:00	7	19	21	38	13	37	135
10:00 -11:00	22	13	25	25	16	37	138
11:00 - 12:00	10	16	20	33	20	29	128
12:00 - 13:00	26	14	21	29	24	23	137
13:00-14:00	28	14	15	34	23	42	156
14:00-15:00	25	18	24	29	26	23	145
15:00-16:00	22	14	18	23	22	33	132
16:00-17:00	25	14	23	30	26	31	149
17:00-18:00	20	10	28	27	21	35	141
18:00-19:00	23	12	28	30	13	44	150
19:00-20:00	26	8	22	26	16	27	125
20:00-21:00	27	3	16	22	9	32	109
21:00-22:00	37	18	18	21	6	31	131
22:00-23:00	41	6	28	23	4	29	131

Annexure-VII

23:00-0:00	18	9	12	18	4	23	84
0:00-1:00	29	7	7	12	4	18	77
1:00-2:00	22	9	7	11	1	13	63
2:00-3:00	19	6	8	11	0	9	53
3:00-4:00	17	3	3	14	1	5	43
4:00-5:00	11	9	3	14	4	6	47
5:00-6:00	10	14	6	14	5	9	58
Total	558	299	422	581	297	648	2805
Max	41	22	28	40	26	44	
Avg	23	12	18	24	12	27	
Percentage	19.9	10.7	15.0	20.7	10.6	23.1016	

Name of the Project: Mining of Sand, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from Gola riverbed in Village- Bhaursha, Tehsil and District Nainital , Uttarakhand

Date of Traffic Survey: 13.03.2019

Name of the Road: major district Road

TIME (HRS)	Total						Total
	VEHICLES						
	Trucks	Agriculture Tractors/LCV	Bus	Car	3 Wheeler	2 Wheeler	
6:00-7:00	10	8	3	11	9	19	60
7:00 -8:00	9	8	2	14	15	20	68
8:00 - 9:00	11	7	5	17	18	20	78
9:00 - 10:00	12	8	6	15	18	21	80
10:00 -11:00	14	6	3	16	21	21	81
11:00 - 12:00	12	9	6	16	21	19	83

Annexure-VII

12:00 - 13:00	11	8	9	17	20	24	89
13:00-14:00	11	7	10	15	25	20	88
14:00-15:00	13	6	8	17	20	24	88
15:00-16:00	10	8	9	18	21	23	89
16:00-17:00	8	7	9	19	23	23	89
17:00-18:00	9	8	9	15	24	24	89
18:00-19:00	12	6	9	14	21	24	86
19:00-20:00	10	8	9	17	19	20	83
20:00-21:00	12	7	9	13	19	21	81
21:00-22:00	9	6	8	15	16	16	70
22:00-23:00	12	4	7	14	17	15	69
23:00-0:00	10	2	3	16	13	15	59
0:00-1:00	9	0	0	11	7	11	38
1:00-2:00	11	0	0	9	3	7	30
2:00-3:00	11	0	0	6	0	5	22
3:00-4:00	11	1	0	4	0	3	19
4:00-5:00	10	2	7	2	0	9	30
5:00-6:00	10	4	10	3	4	12	43
Total	257	130	141	314	354	416	1612
Max	14	9	10	19	25	24	
Avg	11	5	6	13	15	17	
Percentage	15.9	8.1	8.7	19.5	22	25.8065	

श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा ग्राम-भौर्सा, तहसील एवं जिला-नैनीताल में प्रस्तावित रेता, बजरी एवं बोल्डर के चुगान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.09.2019 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा ग्राम-भौर्सा, तहसील एवं जिला-नैनीताल के 6 हैक्टे. क्षेत्र में 132000 टन/वर्ष प्रस्तावित रेता, बजरी एवं बोल्डर के चुगान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के अनुक्रम में दिनांक 13.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम-भौर्सा, तहसील एवं जिला-नैनीताल में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के अनुसार इस प्रकार के उद्योग पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की श्रेणी में आच्छादित हैं। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी अनुक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जनसुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण तथा टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक-11.08.2019 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये, परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल जिला पंचायत कार्यालय, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, नैनीताल, खण्ड विकास अधिकारी, भीमताल तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। दिनांक 13.09.2019 को अपर जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम सहा0 पर्या0 अभियन्ता, श्री नरेश गोस्वामी द्वारा लोक सुनवाई में आये हुए महानुभावों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा उपस्थित जन सामान्य से अनुरोध किया गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वे परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियों सुझाव, टीका टिप्पणी आदि मौखिक अथवा लिखित रूप में दें ताकि उनको सुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकें एवं उनकी आपत्ति/सुझाव को सक्षम स्तर तक पहुँचाया जा सकें। इसके पश्चात् परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार संस्था मै0 गैन्टेक कनसलटैन्ट प्रा.लि., की कुमारी मोनिका गुप्ता द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जन सामान्य को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा लोकहित के उद्देश्य से परियोजना की भविष्य की योजना से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गये:-

1. श्री सन्तोष, ग्राम-भौर्सा, नैनीताल।

श्री संतोष द्वारा प्रस्तावित परियोजना से आस-पास के गँववालो को होने वाले लाभों के सम्बन्ध में पूछा गया।

इस पर प्रस्तावित खनन पट्टे के पर्यावरणीय सलाहकार कुमारी मोनिका गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना से आस-पास के ग्रामीणों को रोजगार का लाभ मिलेगा तथा वृक्षारोपण किया जायेगा एवं सी. एस.आर. के अन्तर्गत प्रस्तावित लोकहित कार्यों से भी आस-पास के लोगों को लाभ मिलेगा।

2. श्री मयंक, ग्राम-भौर्सा, नैनीताल।

श्री मयंक द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित परियोजना द्वारा कितना वृक्षारोपण किया जायेगा तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या कार्य किये जायेंगे।

Fany

...

3. श्री अक्षत, स्थानीय निवासी

इनके द्वारा पूछा गया कि माईन प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किये जायेंगे।

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार कुमारी मोनिका गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पाँच वर्षों की अवधि में 14 हजार वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार वृक्षों की प्रजातियों का चयन किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रस्तावित किये गये विभिन्न प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

4. श्री राजू पलड़िया, निवर्तमान ग्रामप्रधान, ग्राम-भौर्सा, नैनीताल।

उनके द्वारा पूर्व से संचालित खनन पट्टों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्य नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा न करने पर स्थानीय जनता को परेशानी होती है। उनके द्वारा कहा गया कि यद्यपि इस प्रकार की परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, तथापि वाह्य श्रमिकों के क्षेत्र में आने से उनके द्वारा शौचालयों का प्रयोग न करने के कारण गौला नदी में अत्यधिक प्रदूषण हो जाता है। धूल आदि से स्थानीय वनस्पति में भी धूल जमा हो जाने के कारण जानवरों को इसको चारे के रूप में प्रयोग किये जाने से परेशानी होती है। उनके द्वारा खनिज फाउन्डेशन के धनराशि का प्रयोग क्षेत्र में न किये जाने का भी आरोप लगाया गया। उनके द्वारा मॉग रखी गयी कि खनिज फाउन्डेशन के धनराशि का स्थानीय लोकहित में ही प्रयोग किया जाये।

इस पर बोर्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा विश्वास दिलाया गया कि उनकी बातों को कार्यवृत्त में शामिल किया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा भी इस प्रकार की परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है।

5. श्री ललित मोहन बिष्ट, सरपंच, रानीबाग।

इनके द्वारा मॉग की गई कि स्थानीय निवासियों की चिकित्सीय जाँच भी समय-समय पर की जानी चाहिये।

इस पर परियोजना सलाहकार कुमारी मोनिका द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों की समय-समय पर जाँच की जायेगी।

6. श्री मदन मोहन पलड़िया, ग्राम-भौर्सा, नैनीताल।

इनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र के संचालित खनन पट्टों के कारण क्षेत्र में संचालित होने वाले वाहनो की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि स्थानीय निवासियों को अपने निजी वाहनों तथा सरकारी चिकित्सा वाहन 108 आदि के संचालन में भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा खनन पट्टों में संचालित वाहनों की संख्या पर नियंत्रण रखे जाने की मॉग भी की गयी।

अन्त में अपर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अन्य कोई सुझाव टीका टिप्पणी आदि से लोक सुनवाई पैनल को दिये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि लोकहित के विभिन्न मदों में प्रस्तावित की गयी धनराशि को और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अपर जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र के लोगों से खनिज फाउन्डेशन के धनराशि उपयोग के सम्बन्ध में पृथक से जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिये जाने हेतु कहा गया। अन्य कोई सुझाव, टीका टिप्पणी आदि प्राप्त न होने पर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(नरेश गोस्वामी)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ०प०स० एवं प्र०नि०बोर्ड

(एस०एस०जंगपांगी)

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
12	लालचंद शर्मा	श्रीवर्षा	
13	हरीश चंद्र	भौसा	हरीश
14	दीपकचंद पांडे	भौसा	दीप
15	हमचंद्र पांडे	उना	
16	रमेशचंद्र	पीपलामेहरा	
17	आविर्द हारा शांठलीन	हड्डानी	हड्डानी
18	पंकज	जमरानी	
19	लोकेशसिंह	आशिषा	
20	नीरज पलडिघा	जमरानी	नीरज
21	लक्ष्मी अच्युत	हड्डानी	
22	Sund	जमरानी	
23	मंगल अच्युत	जमरानी	मंगल
24	कदमसिंह	भौसा	
25	दयालचंद	भौसा	दयालचंद

क्र.	नाम	पता	फोटो
21	श्रीशंकर पांडे	आरा	आरा
27	केशव	रौरी	केशव
28	रमेश	मोरा	रमेश
29	मदन मोहन	मोरा	मदन मोहन
30	रमेश चंद्र जोशी	रा. नि. श्रीमता	रमेश
31	Abdul Kareem	Kathgoran	Abdul Kareem
32	Ritesh Singh	Roulaugh	Ritesh
33	रमेश	आरा	रमेश
34	Manoj Kumar	Nuclear	Manoj Kumar
35	Saurabh Bhatt	haldwani	Saurabh
36	रमेश शर्मा प्रतिपा	रा. नि. श्रीमता गेलपा	रमेश शर्मा
37	राजीव शर्मा	गोलापा	राजीव
38	पवन कुमार	गोलापा	पवन
39	अनिल चंद्र वर्मा	नि. नि. श्रीमता	अनिल
40	Anil K. Singh	Constant	Anil